न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-72/2023

राज्य

बनाम्

जनता रोडवेज प्रा०लि०

—: आदेश :—

वर्तमान वाद की प्रक्रिया जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 1277/एम० दिनांक 28.12.2022 एवं पत्रांक 607/एम० दिनांक 24.05.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–231/2022 दिनांक 12.12.2022 से संबंधित है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11 के आलोक में जप्त हाईवा रजि० नं०–NL01AE-1213, Chassis No-MAT541102K3F18692 एवं उसपर लदे 28.445 टन लदे कोयला खनिज को राजसात करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." एवं नियम 9(i) में उल्लेखित है कि No person shall transport or otherwise remove or carry away any mineral from any place without obtaining a transport challan duly generated through JIMMS.

राज्य की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–231/2022 दिनांक 12.12.2022 (दिनांक 12.12.2022 को जिला खनन पदाधिकारी द्वारा अवैध

कोयला खनिज के परिवहन संबंधी मामले में जप्त हाईवा वाहन के वाहन मालिक एवं वाहन चालक के विरूद्ध बालूमाथ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी) में कोयला खनिज के अवैध रूप से उत्खनन, व्यापार एवं परिवहन संबंधी मामले में जप्त हाईवा रजि0 NL01AE-1213 एवं उसमें लदे करीब–28.445 टन कोयला खनिज का राजसात की कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। काण्ड में जप्त हाईवा रजि0 नं0–NL01AE-1213, Chassis No-MAT541102K3F18692 एवं हाईवा पर लदे कोयला **28.445** टन सहित मकईयाटांड़ पुलिस पिकेट में सुरक्षार्थ रखा गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी का हाईवा रजि0 नं0–NL01AE-1213 जप्ती नियम 2017 के दायरे में आती है। उक्त हाईवा में लदा जप्त कोयला अवैध खनन द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी। इसे पूरी तरह से वैध चालान के आधार पर ले जाया जा रहा था। जिसे जिला खनन पदाधिकारी की रिपोर्ट पैरा 3 में उल्लेख किया गया है कि कोयले की खेप को चालान में निर्धारित समय सीमा से तीन घंटे से अधिक समय तक परिवहन करते पाया गया। यह वाहन मालिक की गलती नहीं बल्कि चालक की लापरवाही है। परिणामस्वरूप चालक को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई। हालांकि चालक की विफलता के कई कारण हो सकते है। यदि कोयला की खेप अवैध रूप से खनन एवं गलत तरीके से प्राप्त नहीं की गई थी, और न ही किसी व्यक्ति द्वारा जारी किए गए चालान के बल पर ले जाया जा रहा था। अपने गंतव्य तक पहुंचने में घंटों की देरी, जिला मजिस्ट्रेट की अदालत के सम्मान के साथ वाहन के मालिक को कुछ दूरगामी दुखों में डालने वाला एक कठोर उपाय है और इसके परिणामस्वरूप न केवल उसे बल्कि देश को भी नुकसान होता है।

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत स्पष्ट होता है कि जप्त हाईवा रजि0 नं0–NL01AE-1213, Chassis No-MAT541102K3F18692 के द्वारा कोयला को चालान में अंकित समय–सीमा से 3 घंटे अधिक समय तक परिवहन किया गया है, जो कि नियम का उलंघन है।

अतः उक्त जप्त हाईवा रजि0 नं0–NL01AE-1213, Chassis No-

MAT541102K3F18692 एवं उसपर लदे 28.445 टन कोयले के मालिक को मो0 10000/–(दस हजार रूपये) जुर्माना करते हुए कड़ी चेतावनी के साथ की भविष्य में इसकी पूनरावृति न हो के साथ पचास हजार रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार के आधार पर विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है

विपक्षी अपने वाहन के संबंध में शपथ पत्र एवं पचास हजार रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात 08 सप्ताह के अन्दर दाखिल करें, तथा मो0 10000/– (दस हजार रूपये) का जुर्माना राशि जिला नजारत शाखा, लातेहार में जमा करें।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार एवं विपक्षी को भेजें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.08.16 16:28:45 +05:30
Location: 192.168.5.143